

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 733वीं बैठक दिनांक 28/03/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉफेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य |
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य |
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य |
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य |
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य |
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य |
7. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव |

सभी सदस्यों द्वारा अक्षयक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्टों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. **Case No 10999/2023 Shri Mahesh Prasad Chourasiya LLP, R/o Azad Ward, Near Jama Masjid Hata, District Damoh , MADHYA PRADESH, 470775.. Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 4.00 ha.(40000 cum per year) (Khasra No. 179/1(s)), Village- Budhwar, Tehsil - Hatta, District – Damoh (M.P.) (B2)**

प्रस्तावित मुरुम खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/2024. को परियोजना प्रस्तावक श्री महेश प्रसाद चौरसिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंवेस्टिगेशन्स इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MAHESH PRASAD CHOURASIYA, PARTNER, AZAD WARD, NEAR JAMA MASJID, HATA, DAMOH (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	179/1 (S) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village- Budhwar, Tehsil - Hatta, District – Damoh (M.P.)	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के पत्र क्रमांक 540 दिनांक 28/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम—40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरम—40,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 729 दिनांक 17/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 729 दिनांक 17/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 729 दिनांक 17/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तेवरइया जिला दमोह के ढहराव प्रस्ताव दिनांक 02/10/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing - No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया की एक कच्ची रोड लीज क्षेत्र से 4 मी. की दूरी पर है इस के लिये 46 सेटबैक छोड़ा गया है। दक्षिण दिशा— पक्का रोड लगभग 393 मी. एवं दक्षिण पश्चिम दिशा—आबादी लगभग 390 मी. पूर्व दिशा— कच्ची रोड लगभग 252 मी. पश्चिम दिशा—
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 729 दिनांक 17/10/23 अनुसार उक्त खदान नवीन डीएसआर में जोड़ी जायेगी ।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया की एक कच्ची रोड लीज क्षेत्र से 04 मी. की दूरी पर है इस के लिये 46 मी.सेटबैक छोड़ा गया है एवं कृषि भूमि लीज के समीप उत्तर दिशा में है अतः 25 मी. सेटबैक छोड़ा गया है, अतः खनन् योग्य क्षेत्र लगभग 2.32 हे. उपलब्ध होता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम—40,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 23.35 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.79 लाख प्रति वर्ष।
3. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुये हैं। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
4. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.इ.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल बुधवार में रंगाई पुताई एवं फर्नीचर 20 नग बैंच एवं डेस्क)	60,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4900 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, चिरोल, सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3600
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण ऊचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

3	बुधवार में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
4	शासकीय प्राथमिक स्कूल बुधवार एवं ग्राम पंचायत भवन बुधवार में	कदम्ब, कचनार, गुलमोहर, पीपल, मुँगा।	100
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. **Case No 10997/2023 Shri Vishnu Pratap Parihar S/o Shri Mrigendra Singh Parihar, R/o 12/1068, Chourasia Dharmkanta, Urrahat, Tehsil Hujur, District Rewa , MADHYA PRADESH, 486001. Prior Environment Clearance for Laterite Quarry in an area of 1.026 ha.(21000 cum per year) (Khasra No. 346/1, 346/2, 346/6, 346/7), Village-Amjhar Tehsil-Amarpatan, District-Satna (MP)**

प्रस्तावित लेटराईट खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु प्रताप परिहार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri VISHNU PRATAP PARIHAR, Owner, S/O- SHRI MRIGENDRA SINGH PARIHAR R/O - 12/1068 CHAURASIA DHARMKANTA,URRAHAT, TEHSIL-HUJUR, DISRTICT- REWA (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	346/1, 346/2, 346/6, 346/7 (P), (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड, परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	1.026 hectare.
स्थल	Village Amjhar, Tehsil- Amarpatan, District- Satna (M.P.).	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 7411–13 दिनांक 16/06/23 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटराइट–21,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार - लेटराइट–21,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1642 दिनांक 18/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1642 दिनांक 18/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1642 दिनांक 18/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अमझार जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/02/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing- No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा— कच्ची रोड लगभग 57 मी. दक्षिण पूर्व दिशा— आबादी लगभग 204 मी. पूर्व दिशा— कच्ची रोड लगभग 235 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1643 दिनांक 18/08/23 अनुसार उक्त उत्खनन् पट्टा को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

	समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशासित किया जाये।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लेटराइट—21,000 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.77 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.93 लाख प्रति वर्ष।
3. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुये हैं। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
4. रोड की ओर 15 मी. चौड़ाई का ग्रीन बेल्ट सुनिश्चित करेंगे।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसरंचना विकास के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमझर के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	1,00,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में (7.53.)	सागौन, एवं बांश	440
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण (परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण ऊचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), बांश एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय द्वी-गार्ड के साथ	60

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

3	अमझर के ग्राम वासियों में पौधों का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद, नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक एवं नीम	1000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव /मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No 10998/2023 Smt. Mithilesh Devi, Prop. M/s Payal Enterprises, R/o Behind Nehru School, Ward No. 8, District Sheopur, MADHYA PRADESH, 476337, Prior Environment Clearance for Soil Quarry in an area of 1.00 ha.(2376 cum per year) (Khasra No. 148, 150, 151), Village-Mithepura, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP) [453351] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 28/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Mithilesh Devi, Proprietor, M/s Payal Enterprises एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Smt. Mithilesh Devi, Proprietor, M/s Payal Enterprises, R/o Behind Nehru School, Ward No. 8, District Sheopur, MADHYA PRADESH, 476337, Prior Environment Clearance for Soil Quarry in an area of 1.00 ha.(2,376 cum per year) (Khasra No. - 148, 150, 151), Village-Mithepura, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP) [453351]	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरानं.-148, 150, 151,	एरिया-1.00ha., निजीभूमि
परियोजना स्थल	Village-Mithepura, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP)	
संैधातिक सहमति	पत्र क्र. 11030 दिनांक 29/09/2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

खनन् कार्यब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	लागूनही।
डिया द्वाराजारीई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागूनहीं।
उत्पादन क्षमता	● स्वाईल—2,376 घनमीटर/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—श्योरपुरके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक13841दिनांक24 / 11 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंअन्य कोईखदानस्वीकृतनहीं है, जिनकोमिलाकरकुलरकबा1.00हे. होताहै, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गतआताहै।
परियोजना के संबंध मेंडीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—श्योरपुरके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक13841 दिनांक 24 / 11 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क/ अभ्यारण्य/ ईकोसेंसेटिवजॉनजैवविविधता एवं 250 मीटरमेंवन क्षेत्र स्थितनहींहै।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—श्योरपुरके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक13841 दिनांक 24 / 11 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, नालाइत्यादिस्थितनहींहै। ➤ ग्रामीणपक्का रास्ता—120 मी. की दूरीपरस्थितहै।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत/ नगरपरिषद्	ग्रामपंचायत—मठेपुरा,जिला—श्योरपुरका ठहरावप्रस्तावक0. 02दिनांक01 / 07 / 2023 द्वाराअनापत्तिपत्र जारीकियागयाहै।
प्रस्तावितस्थलपर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	Tree existing- 01 Felling – No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसारस्थिति(यदिसेटबैक आवश्यक हो)	उत्तरदिशा— . दक्षिण पूर्वदिशा— पक्का रोड लगभग 119 मी. पूर्वदिशा— पक्का रोड लगभग 261 मी. पश्चिमदिशा—
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—श्योरपुर के एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक13841 दिनांक 24 / 11 / 2023 द्वाराअवगतगयाकिउक्त खदान का विवरणजिलेकी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे अद्यतन कर लिया जावेगा। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक1447 दिनांक 07 / 12 / 2023 द्वारा बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लियाकिराज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठकदिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 —जारीपत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरणकोभीपर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
--	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया की लीज क्षेत्र में चिमनी लगाना प्रस्तावित है। अतः म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वार्डल— **2376 मी³ प्रतिवर्ष।**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.31 लाख एवं रिकिंग राशि रु. 03.16 लाख प्रतिवर्ष।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्ठिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्थनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु0. में)
शासकीय माध्यमिक शाला चौड़ापुर में बोरिंग कराकर ओवरहेड प्लास्टिक टैच्क फिटिंग के साथ पीने के पानी की व्यवस्था करना	1,50,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	---	---------------------	------------------------

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

1	बैरियर जोन	नीम, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण ऊचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	मिठेपुरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. **Case No 9857/2023 M/s DG Bundelkhand Granite LLP, Partner Shri M.K. Meena R/o 1st Floor, Chetak Complex, Near FCI Bhavan, Zone-II, MP Nagar Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 3.290 ha. (16895 Cum Per Year) (Khasra No. 1469) Village-Beejour, Tehsil-Niwari, District-Nivari (MP) TOR.**

समिति की पूर्व 718वीं बैठक दिनांक 25/01/24 को ईआईए तैयार करने हेतु टॉर जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

प्रकरण सिया की 835 वीं बैठक दिनांक 20/02/24 को प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सिया द्वारा सेक को निम्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया है।

- खदान पहाड़ पर स्थिति है एवं पर धार्मिक स्थान सिद्ध बाबा मंदिर है तथा सेक द्वारा प्रकरण में पहाड़ एवं धार्मिक स्थान से सरक्षण से संबंधित कोई अनुसंशा नहीं की गई है।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

प्रकरण आज दिनांक 28 / 03 / 2024 को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार श्री पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, ऑनलाईन मेसर्स कॉर्पोरेशन रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

समिति ने प्रकरण का पुनः परीक्षण प्रकरण करने पर पाया की मंदिर से लीज की दूरी 97 मी. है, की पूर्व दिशा में मंदिर की ओर अतिरिक्त 25 मी. का संरक्षित क्षेत्र (0.5ha.) छोड़ा गया है, जिसमें वृक्षा रोपण प्रस्तावित किया गया है। ई.आई.ए. के अध्ययन के दौरान ग्राम सभा से धार्मिक स्थान सिद्ध बाबा मंदिर के संरक्षण के विषय में उपाय शामिल करेगें एवं सिद्ध बाबा मंदिर जिओ टैग कोर्डिनेट्स भी प्रस्तुत करेगें।

अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 718वीं बैठक दिनांक 25 / 01 / 24 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. **Case No 11009/2023 M/s. National Steel and Agro Industries Ltd.at Khasara. No. 25/1/4, Ghatabillod, Village Sejwaya, Tal : Dhar, Dist. Dhar , MP, 454773. Prior Environment Clearance for existing processing unit to produce Alluminium Zinc Alloy Steel, CR Coils and Sheets, Colour Coated Sheets, Galvanized Sheets and Electricity at Khasara No. 25/1/4, Ghatabillod, Village Sejwaya, Tal : Dhar, Distt. Dhar (MP) [437124] (TOR).**

This is case of Prior Environment Clearance for existing processing unit to produce Alluminium Zinc Alloy Steel, CR Coils and Sheets, Colour Coated Sheets, Galvanized Sheets and Electricity at Khasara No. 25/1/4, Ghatabillod, Village Sejwaya, Tehsil Dhar, Distt. Dhar (MP). Category: 3(a).

PP submitted following details on Parivesh portal.

SN	Projects Details		Remarks
1.	Online Proposal No	SIA/MP/IND1/437124/2023.	
2.	Proposal /Activity Name	Mr. Sudhir Khare, Deputy Manager, M/s. National Steel and Agro Industries Ltd.at Khasara. No. 25/1/4, Ghatabillod, Village Sejwaya, Tal : Dhar, Dist. Dhar, (M.P.), 454773,	
3.	Location of Project	Existing processing unit to produce Alluminium Zinc Alloy steel, CR Coils and sheets, Colour Coated Sheets, Galvanized Sheets and Electricity at Khasara No. - 25/1/4, Ghatabillod, Village Sejwaya Tehsil- Dhar, Dist. - Dhar (M.P.), Total Plot Area - 292470 m2, Total Built Up Area - 118550 m2, Cat.: 3(a) Metallurgical Industries (ferrous and non ferrous).	
4.	EC Status	Fresh ToR.	
5.	EC Applicability	Regularization of existing EC as per notification issued by MoEF& CC No. SO 3250(E) dated July 20, 2022.	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

6.	Project Cost Rs.		CGL-Rs. 18,450 Lakhs + CRM-Rs. 24,510 Lakhs. Total Rs. 42,962 Lakhs (43127 Lakhs).			
7.	Description of Project		M/s. National Steel and Agro Industries Ltd. (NSAIL) is an existing processing unit to produce Alluminium Zinc Alloy steel, CR Coils and sheets, Colour Coated Sheets, Galvanized Sheets and Electricity at Khasara No. 25/1/4, Ghatabillod, Village Sejwaya, Tal : Dhar, Dist. Dhar, State: (M.P.) -Pin 454773			
8.	Whether the proposal involves violation,		No.			
9.	Whether there is any litigation pending against the project,		Yes.			
10.	Court Case details: Judicial Magistrate, First Class, Madhya Pradesh- Pending.					
	Name of Parties	Case No.	Court/ Tribunal/ Forum	Case Details	Status	Amount Claimed
	Madhya Pradesh Pollution Control Board v Company	Criminal Complaint	Judicial Magistrate, First Class, Madhya Pradesh	The Company filed its objections against the charges framed, however the same were refused by the Judicial Magistrate, First Class. Accordingly, the Company filed a revision petition before the Additional District Judge, Dhar, which upheld the order passed by the Judicial Magistrate, First Class. Thereafter, the Company challenged the order passed by the Additional District Judge, Dhar before the High Court of Madhya Pradesh, where, the High Court has allowed the lower court to keep the trial on going but not pass any order till the review application filed before the High Court of Madhya Pradesh was decided.	Pending	No details available
11.	ToR Status	Proposed.				
12.	Consent Chronology	S N	Particulars of Consents			Validity
		1.	Consents under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; CRM Div.			30-06-2024
		2.	Consents under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; CGL Div.			31-01-2025
		3.	Authorization under Hazardous Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016; CRM Div.			08-03-2025
		4.	Authorization under Hazardous Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016; CGL DIV.			24-02-2025
13.	Water Requirement of Project	Source: Ground water, permission received Total water requirement: 573 m3 /d (362 m3 /d Fresh from bore well + 211 m3 /d Recycled & purchased) Process water: 160 m3 /d.				

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

		Cooling water: 276 m3 /d. Domestic + Green belt :137 m3 /d.
14.	Production details	<p>A) CGL Division:</p> <p>1) Aluminium Zinc Alloy Steel: 90,000 MT/A . 2) Cold Rolled Cold Annealing coil/sheet: 60,000 MT/A. 3) Colour Coated Steel: 80,000 MT/A. 4) Galvalume Sheets: 2,40,000 MT/A 5) Electricity by RLNG based captive power plant: 2 MW.</p> <p>B) CRM Division:</p> <p>1) Cold Rolled Steel:3,50,000 MT/A. 2) Colour coated sheet:1,00,000 MT/A. 3) Galvanizing Steel: 90,000 MT/A. 4) Power Generation: 4.00 MW (2. 00 MW X 2 Nos.) (1 stand by).</p>
Documentary Details		
15.	PFR	Submitted.
16.	DG Set details	2 Nos. 125 kVA x 1 No., 437 kVA x 1 No.
17.	Env. Consultant.	M/s Enviro Analysts & Engineers Pvt. Ltd., Borivali (E), Mumbai (Mahastra). Valid up to 18/06/2024.

The case was presented by the Smt. Sampada Sidhir, Environment Consult from M/s Enviro Analysts & Engineers Pvt. Ltd., Borivali (E), Mumbai (Mahastra) and PP Shri Sudhir Khare, Deputy Manager (on-line) wherein PP submitted following points:

- M/s. National Steel and Agro Industries Ltd. (NSAIL) is an existing Processing Unit to produce Cold Rolled Steel, Colour Coated Steel, Galvanized Steel and Aluminium-Zinc Alloy steel and Electricity at Khasara No. 25/1/4 Ghatabillod, Village Sejwaya , Tal : Dhar, Dist. Dhar, State: Madhya Pradesh Pin 454773 admeasuring 29,2470 m²
- This unit is established in 1987 and now wholly owned subsidiary of JSW Steel, India's largest producer and exporter of colour-coated steel products
- Seeking EC for regularization of existing processing unit as per Regularization of existing EC as per notification issued by MoEF& CC No. SO 3250(E) dated July 20, 2022.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

S. No.	Particulars of Consents	Issue date	Validity
1	Consents under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; CRM Div.	23.04.2022	30-06-2024
2	Consents under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; CGL Div.	28.12.2021	31-01-2025
3	Authorization under Hazardous Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016; CRM Div.	26.12.2022	30.01.2028
4	Authorization under Hazardous Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016; CGL DIV.	31.01.2020	24-02-2025

Sr. No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value.	-	-
2	Areas which are important or sensitive of ecological reasons – wetlands, water courses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests.	Water bodies 1. Mohani Nadi 2. Chambal River	1.3 km East 3.5 km East
3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration.	-	-
4	Inland, coastal, marine or underground waters	-	
5	State, national boundaries	None within 15 km	None
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas	-	-
7	Defence installations	None within 15 km	None
8	Densely populated or built-up area	Lebad, Ghatbillod	The surrounding area is mainly agricultural with small pockets of built up areas (villages). The

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

			nearby major city is Indore which is around 40 kms away.
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses (hospitals, schools, places of worship, community facilities)	<p>School:</p> <p>1) Sun shineublic school, Nayapura, Ghatabillod, Madhya Pradesh 453001 2) Guru Kripa Academy School, MGF2+M95, Dhar, Madhya Pradesh 454773 3) The Brainseed International School, Gram Methwada Teh. Depalpur Dist. Indore, Madhya Pradesh 453001</p> <p>Hospital:</p> <p>1) Government hospital, MG73+2MW, Sejvaya, Madhya Pradesh 454773 2) Gadwal Hospital, PCQ8+H7X, Sadalpur, Madhya Pradesh 454001 3) Shree Ganesh Hospital, MG98+7FQ, Mhow - Neemuch Rd, Dehrisaray, Madhya Pradesh 454773</p>	<p>School:</p> <p>1) 5.7 SE 2) 3.4 E 3) 9.1 SE</p> <p>Hospital :</p> <p>1) 3.4 SE 2) 11.2 NW 3) 4.0 E</p>
10	Areas containing important, high quality or scarce resources (ground water resource, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)	-	-
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (those where existing legal environmental standards are exceeded)	None within 15 km	None
12	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)	-	-

Production Details

No.	Production details	Quantity

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

A	CRM Division:	
1	Cold Rolled Steel	3,50,000 MT/A
2	Colour coated sheet	1,00,000 MT/A
3	Galvanizing Steel	90,000 MT/A
B	CGL	
1	Aluminium Zinc Alloy Steel	90,000 MT/A
2	Cold Rolled Cold Annealing coil/sheet	60,000 MT/A
3	Colour Coated Steel	80,000 MT/A
4	Galvanizing Steel	2,40,000 MT/A
5	Electricity by RLNG based captive power plant	2 MW

As per notification issued by MoEF & CC No. SO 3250(E) dated July 20, 2022 regarding the regularization Cold Rolling mills. This amendment also mentions in its Para 4 and 5 that “in exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of Public Consultation: Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification.

- M/s. **National Steel and Agro Industries Ltd. (NSAIL)** is an existing Processing Unit to produce Cold Rolled Steel, Colour Coated Steel, Galvanized Steel and Aluminium-Zinc Alloy steel and Electricity at Khasara No. 25/1/4 Ghatabillod, Village Sejwaya , Tal : Dhar, Dist. Dhar, State: Madhya Pradesh Pin 454773 admeasuring 29,2470 m²
- This unit is established in 1987 and now wholly owned subsidiary of JSW Steel, India's largest producer and exporter of colour-coated steel products
- Seeking EC for regularization of existing processing unit as per Regularization of existing EC as per notification issued by MoEF& CC No. SO 3250(E) dated July 20, 2022.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

After deliberations committee recommended the Standard TOR as stipulated by the MoEF&CC with inclusion of following additional TOR and as per Annexure “D” to be addressed in the EIA/EMP report may be issued: -

1. Compliance of old EC.
2. Chronology of the project since the year 1987 to current year.
3. Submit tree inventory along with tree felling proposal if any then permission shall be obtained.
4. Proposed Green area with plantation scheme & species as suggested by the committee.
5. CER activities along with physical target as suggested by the committee.
6. Carbon **emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report with details of CO₂ emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.**
7. **Proposed contribution of solar light shall be 30 % of total power consumption.**
8. Details of leachate generation if any.
9. Ecological damage assessment Plan.
10. Ground-water study w.r.t. to heavy metals concentration to be furnished.
11. Water balance with source of water to be furnished along with the consent/permission for supply of requisite quantum of water from the competent authority.
12. Proposal for ETP to achieve “Zero Liquid Discharge”.
13. Mass balance for the solid waste for entire plant to be presented in the EIA report.
14. Photographs of the existing plantation (if any) are to be submitted in the EIA report.
15. Compliance of earlier issued CTE/CTO conditions issued by MPPCB in the EIA report.
16. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources as DG sets, vehicles movements etc. and their management plan w.r.t. carbon foot print shall be studied and discussed in EIA report.
17. In EIA study the mode of transportation, storage of fly ash, all raw materials and products should be discussed along with their impacts.
18. Transportation plan & traffic management plan should be discussed in the EIA report.
19. Inventory of all sensitive receptors in 2 Km & 5 Km around the mine.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

20. Input data of modeling should be addressed in EIA along with this all back up calculation.
 21. Onsite pictures of monitoring and survey along with date and time on photographs should be attached with the EIA report.
6. **Case No 10824/2023 Shri Babulalji Patwala, Lessee, R/o 91, Sukh Niwas, District-Indore (MP)-452013, Prior Environment Clearance for Dhamanda Stone Quarry in an area of 3.74 ha. (19885 cum per year) (Khasra No. 37/1), Village-Dhamanda, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP) [DEIAA] (TOR)**

प्रकरण में समिति की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/2024 को टॉर जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

सिया की 829वीं बैठक दिनांक 9/02/2 को प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है,

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

“परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खनिपट्टा क्षेत्र से लगी हुई एक पक्की सड़क परिलक्षित है। माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पथर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है। माननीय एनजीटी के उक्त मापदण्डानुसार पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक अग्रेषित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

जिसके समिति की आज दिनांक 28/03/24 को समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Babulalji Patwala, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपरिथित हुए।

समिति ने प्रकरण का पुनः परीक्षण प्रकरण करने पर पाया की लीज के समीप एक पक्की सड़क परिलक्षित है एवं ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी निर्धारित छोड़ने पर खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मार्झिनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का मार्झिनिंग प्लान प्रस्तुत किया जावेगा पीपी द्वारा प्रस्तवित किया गया कि ब्लास्टिंग नहि कि जायेगी एवं रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा परन्तु इस हेतु संशोधित मार्झिनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः संशोधित मार्झिनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जावेगा। समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान परिस्थिति में टॉर की अनुसंशा नहीं की जा सकती।

7. **Case No 11004/2023 Shri Lakhwinder Panag, R/o 1238, Sector 90, S.S. Nagar, Mohali , Punjab, 140308, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.90 ha.(150024 cum per year) (Khasra No. 946), Village-Badauro Kalan, Tehsil-Gaurhiar, District-Chhatarpur (MP) [438781] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित Stone खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Lakhwinder Panag, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri LAKHWINDER PANAG, Proprietor, 1238, Sector 90, Mohali, Moga, Punjab.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	946 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.90 hectare.
स्थल	ग्राम BADAURO KALAN तहसील Gaurihar जिला Chhatarpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2722 दिनांक 14/11/17 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र पृ. क्रमांक 484 दिनांक 30/01/18 के द्वारा पत्थर-1,60816 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-1,50,024 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार - पत्थर-1,50,024 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

परिधि में अन्य खदाने	क्रमांक 2126 दिनांक 09/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 19.625 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2126 दिनांक 09/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2126 दिनांक 09/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बदौरकलां जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-10 दिनांक 26/01/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा— आबादी लीज क्षेत्र के समीप दिखाई दे रही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया की स्थान वार मापदण्ड के अनुसार इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जावेगी।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-118 के सरल क्रमांक-58 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint study.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में पेड़ लगे हैं अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. पूर्व दिशा में – आबादी लीज क्षेत्र के समीप दिखाई दे रही है। अतः स्थान वार मापदण्ड के अनुसार इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जावेगी।
22. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
23. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में उत्तर पूर्व दिशा में आबादी लगभग 122 मी. की दूरी पर है अतः सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
24. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
25. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

26. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
27. अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।
28. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
29. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
30. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
31. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
32. खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

8. **Case No 11002/2023 Shri Lakhwinder Panag, R/o 1238, Sector 90, S.S. Nagar, Mohali, Punjab, 140308, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.90 ha.(150004 cum per year) (Khasra No. 946), Village-Badauro Kalan, Tehsil-Gaurhiar, District-Chhattarpur (MP) [438796] [DEIAA] (TOR)**

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

प्रस्तावित Stone खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Lakhwinder Panag, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri LAKHWINDER PANAG, Proprietor, 1238, Sector 90, Mohali, Moga, Punjab.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	946 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.90 hectare.
स्थल	ग्राम BADAURO KALAN तहसील Gaurihar जिला Chhatarpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	क्षेत्रीय प्रमुख, भौमिकी तथा खनिकर्म, जबलपुर का पत्र पृ. क्रमांक 13483–504 दिनांक 30/09/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र पृ. क्रमांक 485 दिनांक 30/01/18 के द्वारा पत्थर–1,50,320 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–1,50,004 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–1,50,004 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2124 दिनांक 09/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 19.625 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2124 दिनांक 09/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2124 दिनांक 09/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बदौरकलां जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-11 दिनांक 26/01/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Within this area some tree are existed.
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा— आबादी लगभग 122 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-118 के सरल क्रमांक-57 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

36. Copy of Form-I

37. Land status/P2:

38. Area & Location with Khasra no:

39. Current Ekal Praman Patra

40. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)

41. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:

42. OB Dump and waste management with facts and figures:

43. Top soil management with soil profile:

44. Detail of old Environment Clearance with validity period:

45. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....

46. Lease agreement details with compliance of LRC provisions

47. Water requirement (KLD):

48. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)

49. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:

50. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:

51. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):

- Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 28 मार्च 2024

- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

52. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.

53. Carbon footprint study.

54. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

55. प्रश्नाधीन खदान में पेड़ लगे हैं अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

56. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के रथल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

57. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में उत्तर पूर्व दिशा में आबादी लगभग 122 मी. की दूरी पर है अतः सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये ।

58. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये ।

59. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूषणात्मक को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये ।

60. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें ।

61. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।

62. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

63. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान ।

64. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव ।

65. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें ।

66. खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों में पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

67. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
68. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
69. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

9. **Case No 11011/2023 Shri Nikhil Singh R/o MIG 28, Pratahm tal Gomti Colony, Nehru Nagar District Bhopal , MADHYA PRADESH, 462039, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.650 ha.(14850 cum per year) (Khasra No. 283), Village-Malikhedi, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [451991] (TOR)**

प्रस्तावित Stone खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुर्णमूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Nikhil Singh एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवेयारो केरेर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri NIKHIL SINGH, Proprietor, R/o- M.I.G. 28 Pratham Tal Gomti Colony Nehru Nagar Bhopal, District- Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	283 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.650 hectare.
स्थल	Village - Malikhedi, Tehsil - Huzur, District - Bhopal (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 4606 दिनांक	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

	23/05/17 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	मुरम खनिज होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम—14,850 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरम —14,850 घनमीटर/वर्ष है।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया भोपाल के पत्र क्रमांक 1250 दिनांक 28/07/2017 के द्वारा मुरम—14,850 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3323 दिनांक 16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 21.15 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3323 दिनांक 16/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3323 दिनांक 16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मालीखेड़ी जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—7 दिनांक 27/01/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा— कच्ची रोड लगभग 26 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक—159 पर दर्ज है ।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 28 मार्च 2024

लीज के पश्चिम दिशा में एक शेड है पीपी ने बताया की ये उनके स्वयं का है एवं प्रश्नाधीन खदान के बाजू से जो कच्चा रोड जा रहा है ये एरिया गैर खनन एरिया के रूप में छोड़ा जायेगा इस क्षेत्र में पौधरोपण प्रस्तावित है। प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

20. प्रश्नाधीन खदान में पेड़ लगे हैं अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
25. अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

10. **Case No 11005/2023 M/s Om Granite, Prop. Shri Devendra Shivehare, R/o Village Churiyari, Tehsil Gaurihar, District Chhatarpur , MADHYA PRADESH, 471525. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(26864 cum**

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

per year) (Khasra No. 1361/1/2(P)), Village-Didwara, Tehsil-Laundi, District-Chhatarpur (MP) [450926] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित Stone खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Devendra Shivehare, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri DEVENDRA SHIVEHARE, Proprietor, M/S OM GRANITE, R/O - DIDWARA, TEHSIL- LAVKUSHNAGAR, DISTRICT – CHHATARPUR (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1361/1/2(P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम DIDWARA तहसील Laundi जिला Chhatarpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 948 दिनांक 04/08/17 के द्वारा अंतरित ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 492 दिनांक 30/01/18 के द्वारा पत्थर-26,864 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-26,864 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-26,864 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2861 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 13 अन्य खदानें संचालित /स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 29.487 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2861 दिनांक 13/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2861 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दिदवारा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-10 दिनांक 16/03/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का पंचायत की अनुशंसा है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-167 के सरल क्रमांक-22 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 28 मार्च 2024

- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में पेड़ लगे हैं अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिह्नित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
25. अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

11. **Case No 11016/2023 Shri Dharamedra Sengar, R/o Indra Nagar, Ward No. 26, District Shajapur , MADHYA PRADESH, 465001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(7600 cum per year) (Khasra No. 44), Village-Ninawad, Tehsil-Tarana, District-Ujjain (MP) [453338] DEIAA (TOR).**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Dharamedra Sengar, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri DHARMENDRA SENGAR, Owner, Indra Nagar Ward no 26 Shajapur, Shajapur (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	44 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)		2.00 hectare. तहसील
स्थल	ग्राम NINAWAD तहसील Tarana जिला Ujjain (म.प्र.)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 4015 दिनांक 28/02/17 के द्वारा स्वीकृत।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 2343 दिनांक 16/10/2017. के द्वारा पत्थर-1,900 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-7600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-7600 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 7056 दिनांक 04/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/ स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 12.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 7056 दिनांक 04/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल		

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 7056 दिनांक 04 / 10 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नैनावद जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—5 दिनांक 20 / 03 / 2007 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— पक्की सड़क (A.B. Road) - 120 meter
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक—3 पर दर्ज है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल इमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्थीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शायें।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

12. Case No 11015/2023 Shri Omprakash Choudhary R/o Village Kelod, Tehsil Dewas, District Dewas , MADHYA PRADESH, 455001, Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 4.00 ha.(12000 cum per year) (Khasra No. 2063), Village-Kelod, Tehsil-Dewas (MP) [439512] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Omprakash Choudhary एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri OMPRAKASH CHOURDHARY, Lessee, R/o- Village- Kelod, Tehsil- Dewas, District- Dewas (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2063 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village - Kelod, Tehsil- Dewas, District- Dewas (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, का पत्र क्रमांक 3046-49 दिनांक 15/03/23 द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	मुरम खनिज होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम-12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरम-12,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2080 दिनांक 20/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकम 16.100 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2080 दिनांक 20/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2080 दिनांक 20/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कैलोद जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—10 दिनांक 16/11/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	कच्चा रोड— 5 मी. की दूरी पर है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 20/10/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

3. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
 4. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
 5. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
 6. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
 7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वार्डल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
 8. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
 9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
13. **Case No 10827/2023 Ms. Astha Shrivastava, Lease Owner, 202, Apollo Pradise, Bawadiya Kalan, Gulmohar, Near Minal Enclave, District-Bhopal (MP)-462039 Prior Environment Clearance for Barigarh Stone Mine in an area of 2.65 ha. (150002 cum per year) (Khasra No. 349), Village-Barigarh, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP) [440378] (TOR)**

प्रकरण में समिति की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/2024 को ठाँर जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

सिया की 829वीं बैठक दिनांक 9/02/2 को प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है,

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मार्च 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 829वीं बैठक दिनांक 09.02.2024
का कार्यवाही विवरण

27. प्रकरण क्र. 10827 / 2023 परियोजना प्रस्तावक सुश्री आस्था श्रीवास्तव पुत्री श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी— 202, आपोलो पैराडाइज, बाबड़िया कला, गुलमोहर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पथर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,50,002 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 349, रक्वा 2,650 हेक्टेयर, ग्राम बारीगढ़, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 710 वीं बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट—डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

‘परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खनिपट्टा क्षेत्र वर्जन पहाड़ी पर स्थित है एवं नगर परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत भी है। अत प्रकरण स्पष्ट अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये कि क्या वर्जन पहाड़ी जो कि नगर परिषद् क्षेत्र में स्थित है पर खनन हेतु ToR जारी किया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

जिसके समिति की आज दिनांक 28/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Ms. Astha Shrivastava, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपरिथित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि लीज एरिया का उत्तर दिशा में लगभग 40 प्रतिशत् पहाड़ी की ओर है जहां जड़ भण्डार भी दृष्टिगोचर हो रहा है। यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जावेगा। प्रकरण में नगर परिषद् क्षेत्र से अनापत्ति प्राप्त है एंव प्रकरण की जन-सुनवाई प्रक्रिया के दौरान रहवासियों से जो सुझाव प्राप्त हो तदनुसार संरक्षण के उपाय परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित किये जायेंगे।

अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 710वीं बैठक दिनांक 05/01/2024 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

14. Case No 11003/2023 Shri Vipul Sharma R/o Ward o. 1, Om Colony (Shyam Memoriyal Hospital) ke pass, District Ashoknagar , MADHYA PRADESH, 473331. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(5130 cum per year) (Khasra No. 35), Village-Bansara, Tehsil-Shadhora, District-Ashoknagar (MP) [450270] [DEIAA] (TOR)

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 28/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vipul Sharma एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi the Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Vipul Sharma R/o Ward o. 1, Om Colony (Shyam Memoriyal Hospital) ke pass, District Ashoknagar, (M.P.) - 473331, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha., (5,130 cum per year) (Khasra No. - 35), Village-Bansara, Tehsil-Shadhora, District-Ashoknagar (M.P.). [450270] [DEIAA].	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरानं.-35,	एरिया—2.00ha., शासकीयभूमि
परियोजनास्थल	Village-Bansara, Tehsil-Shadhora, District-Ashoknagar (M.P.).	
सैद्धांतिक सहमति	पत्र क्र. 602दिनांक21/08/2018.	
टॉरस्थिति	प्रस्तावित ।	
Description of Project	<i>This is a stone quarry. This Case belonging to B1 category due to the proposed excavation area is Cluster of Mines In these 5 hectares. We are using open cast semi mechanized mining method of production.</i>	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	Blasting will be done by licensed contractor. The lessee has been obtain necessary permissions from DGMS before blasting & inform DM and DGMs.	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA Ashoknagar EC issued vide letter No. 90 dated 27/06/2018. (Stone Mining - 5,130 Cub meter/Year).	
उत्पादन क्षमता	● स्टोन—5,130घनमीटर/वर्ष ।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण ।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—अशोकनगरके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक700 दिनांक18/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10अन्य खदाने स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 22.274 हे. होता है, अतः प्रकरणबी-1 श्रेणी के अंतर्गतआताहै ।	
परियोजना के संबंध मेंडीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—अशोकनगरके एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 700 दिनांक 18/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
परियोजना के संबंध राजस्वजानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—अशोकनगरके एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 700 दिनांक 18/10/2023 अनुसार 500	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

	मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत / नगर परिषद्	ग्राम पंचायत—भैंसरवास, जिला—अशोकनगर का ठहराव प्रस्ताव क्र. 32 दिनांक 15/08/2017 द्वारा अनापत्तिपत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावितस्थलपर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	Tree Existing- No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसारस्थिति(यदिसेटबैकआवश्यक हो)	उत्तरदिशा— लीज एरिया के पास से हालेज रोड निकल रही है।
जिलासर्वेक्षणरिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेजनं.— 27 के सरलक्रमांक—27 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के रथल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

15. **Case No 11014/2023 Shri Vinit Kumar Sharma R/o Gram Bhaisaravas, Tehsil Bhensarwas, District Ashoknagar , MADHYA PRADESH, 473331, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(10260 cum per year) (Khasra No. 1020/6), Village-Banjaranggarh, Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [432594] (TOR)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 28/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vinit Kumar Sharma एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi the Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Vinit Kumar Sharma R/o Gram Bhaisaravas, Tehsil -Bhaisaravas, District - Ashoknagar, (M.P.) - 473331, Prior Environment Clearance for Bansara Crusher StoneQuarry in an area of 2.00 ha.(10,830 cum per year) (KhasraNo. - 36), Village- Bansra, Tehsil-Shadhora, District-Ashoknagar (M.P.). [450297]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-1020/6,	एरिया— 2.00ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village- Bansra, Tehsil-Shadhora, District-Ashoknagar (M.P.).	
संघातिक सहमति	पत्र क्र0. 32 दिनांक 09 / 01 / 2018.	
टॉर स्थिति	प्रस्तावित।	
Description of Project	This is a stone quarry. This Case belonging to B1 category due to the proposed excavation area is Cluster of Mines In these 5 hectares. We are using open cast semi mechanized mining method of production.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Blasting will be done by licensed contractor. The lessee has been obtain necessary permissions from DGMS before blasting & inform DM and DGMS.	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA Ashoknagar EC issued vide letter No. 73 dated 25/11/2017. (Stone Mining - 10,830 Cub meter/Year).	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

उत्पादन क्षमता	● स्टोन—10,830 घनमीटर/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला —अशोकनगर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 644 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदाने स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 22.236 है। होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला —अशोकनगर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 644 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला —अशोकनगर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 644 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत — भैंसरवास, जिला — अशोकनगर का ठहराव प्रस्ताव क्र. 30 दिनांक 15/08/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing —No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा— लीज एरिया के पास से हालेज रोड निकल रही है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—23 के सरल क्रमांक —06 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूषणभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

16. **Case No 11000/2023 Shri Grish Patidar R/o LIG A1/18, Rishi Nagar District Ujjain , MADHYA PRADESH, 456010, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha.(10000 cum per year) (Khasra No. 167/1, 167/2, 168), Village-Chakjairampur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [450143] [DEIAA] (TOR)**

प्रकरण आज सेक की 733वीं बैठक दिनांक 28/03/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

17. **Case No 10970/2023 Shri Sayyed Ali, Lessee, R/o Wahid Villa, Wahid Nagar, Old bypass, District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Sawaliyarundi Stone Mine in an area of 4.40 ha. (14250 cum per year) (Khasra No. 3/1/1/1), Village-Sanwalyarandi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) [450299] (TOR)**

प्रकरण में समिति की 717वीं बैठक दिनांक 24/01/2024 को टॉर जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 28 मार्च 2024

सिया की 835वीं बैठक दिनांक 29/02/20 को प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है,

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

1. प्रकरण क्र. 10970/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सैयद अली, निवासी— वहीद विला, वहीद नगर, पुराना बायपास, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 14250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.40 हेक्टेयर, खसरा 3/1/1/1, ग्रम सांवलियारंडी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 717वीं बैठक दिनांक 24.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 267 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा पत्थर—50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है, परन्तु अनुमोदित खनन योजना अनुसार आवेदन अधिकतम उत्पादन क्षमता मात्र पत्थर—12,250 घनमीटर/वर्ष हेतु किया गया है। प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित उत्पादन क्षमता से काफी कम उत्पादन क्षमता में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु क्यों आवेदन किया गया है एवं उत्पादन क्षमता क्यों कम की गई है ये स्पष्ट नहीं हैं।

अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

जिसके समिति की आज दिनांक 28/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Sayyed Ali, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपरिथित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

सिया के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व में रेलवे से गिट्टी का टैंडर आया था जो की उन्हें टैंडर नहीं मिल सका। मार्किट डिमांड भी कम है अतः उत्पादन कम किया। उक्त विषय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो कारण स्पष्ट किया उस पर समिति सहमति व्यक्त की।

अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 717वीं बैठक दिनांक 24/01/2024 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

18. Case No 11001/2023 Shri Naresh Raghuvanshi R/o Fci Ke Samne, Isagarg Road, Ward no. 1, District Ashoknagar , MADHYA PRADESH, 473331. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(7000 cum per year) (Khasra No. 480, 481), Village-Raja Bamora, Tehsil-Shadhara, District-Ashoknagar (MP) [450590] [DEIAA] (TOR)

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमेंआज दिनांक 28/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Naresh Raghuvanshi एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi the Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi.उपस्थितहुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजनाप्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Naresh Raghuvanshi R/o FCI Ke Samne, Isagarg Road, Ward no. 1, District Ashoknagar , (M,P,) - 473331, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(7,000 cum per year) (Khasra No. - 480, 481), Village-Raja Bamora, Tehsil-Shadhara, District-Ashoknagar (MP) [450590] [DEIAA]	
परियोजना का खसरानं./लीज क्षेत्रफल	खसरानं.-480,	एरिया-2.00ha., शासकीयभूमि
परियोजनास्थल	Village-Raja Bamora, Tehsil-Shadhara, District-Ashoknagar (MP)	
सैधातिकसहमति	पत्र क्र. 432दिनांक24 / 12 / 2020.	
टॉरस्थिति	प्रस्तावित ।	
Description of Project	<i>This is a crusher stone quarry. Its Comes Under B1 Category due to Cluster of Mines in this area. We are using open cast semi mechanized mining method of production and its minable reserve production is 99,340 Cub Meter and annual production is 7,000 Cub meter.Village- Raje Bamora, Tehsil- Shadura, District- Ashoknagar (Madhya Pradesh) Lease Area: 2.000 Ha, Category of Project: 'B1' Khasra No -480, 481.</i>	
खनन् कार्यब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	Blasting will be done by licensed contractor. The lessee has been obtain necessary permissions from DGMS before blasting & inform DM and DGMs.	
डिया द्वाराजारीई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA Ashoknagar EC issued vide letter No. 10 dated 30/06/2016. (Basalt Stone Quarry - 7000 Cub meter/Year).	
उत्पादन क्षमता	● स्टोन-7,000 घनमीटर/वर्ष ।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण ।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अशोकनगरके एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक1684दिनांक12 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में03अन्य खदानेस्वीकृत है, जिनकोमिलाकरकुलरक्का8.300है. होता है, अतः प्रकरणबी-1 श्रेणी के अंतर्गतआता है ।	
परियोजना के संबंध मेंडीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अशोकनगरके एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक1684 दिनांक 12 / 10 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता एवं 250 मीटरमेंवन क्षेत्र स्थितनहीं है ।	
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अशोकनगरके	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

राजस्वजानकारी	एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक1684 दिनांक 12 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, नालाइत्यादिस्थितनहींहै।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत / नगरपरिषद्	ग्रामपंचायत—राजेबामोरा,जिला—अशोकनगरका ठहरावप्रस्तावक0. 20दिनांक26 / 01 / 2020 द्वाराअनाप्तिपत्र जारीकियागयाहै।
प्रस्तावितस्थलपर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	Tree Existing - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसारस्थिति(यदिसेटबैकआवश्यक हो)	उत्तर पूर्वदिशा— आबादी 300 मीटर पर है पूर्वदिशा— Shed – 210 m & Kachhi Road -210
जिलासर्वेक्षणरिपोर्ट की स्थिति	परियोजनाप्रस्तावक ने बतायाकि इस खदान का विवरणजिले की अनुमोदितनवीनजिलासर्वेक्षणरिपोर्ट के पेजनं.— 24 के सरलक्रमांक— 11परदर्जहै।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

- a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिह्नित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
25. अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note:

- 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

19. **Case No 11006/2023 M/s Ramraja Granite, Partner Shri Devendra Shivhare, R/o House No 4-1, Indira Nagar, Kabrai, Mohaba , UTTAR PRADESH, 210424. Prior Environment Clearance for Stone and M.Sand Quarry in an area of 1.754 ha.(50000 cum per year) (Khasra No. 1599/1/1), Village-Didwara, Tehsil-Laundi, District-Chhatarpur (MP) [451832] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित Stone खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Devendra Shivhare, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAMRAJA GRANITE, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, Mahoba, Uttar Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1599/1/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.754 hectare.
स्थल	ग्राम DIDWARA तहसील Laundi जिला Chhatarpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1290 दिनांक 16/10/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 1823 दिनांक 02/05/18 के द्वारा पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष है।	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2858 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 12 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 27.891 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2858 दिनांक 13/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2858 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दिवारा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—8 दिनांक 15/08/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—168 के सरल क्रमांक—26 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
29. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
30. ए

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

20. **Case No 11007/2023 M/s Jai Kamadgiri Minerals, Parnter Shri Devednra Shivhare, R/o House No 4-1, Indira Nagar, Kabrai, Mohaba , UTTAR PRADESH, 210424, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha.(15673 cum per year) (Khasra No. 1361/1/2), Village-Didwara, Tehsil-Laundi, District-Chhatarpur (MP) [451365] [DEIAA] (TOR).**

प्रस्तावित **Stone** खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Devednra Shivhare, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s JAI KAMADGIRI MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, Mahoba, Uttar Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1361/1/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.
स्थल	ग्राम DIDWARA तहसील Laundi जिला Chhatarpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, जबलपुर का पत्र क्रमांक 12797–13804 दिनांक 28/06/16 द्वारा स्वीकृत।	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 1834 दिनांक 02/08/18 के द्वारा पत्थर-15,673 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-15,673 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-15,673 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2862 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 13 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 28.487 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2862 दिनांक 13/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं हैं एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2862 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दिवारा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 02/10/11 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-167 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के इंटरप्राईज़ जल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

21. **Case No 10823/2023 Shri Gajendra Sikarwar, Lessee, R/o Station Road, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP)-465001. Prior Environment Clearance for Kanja Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (22800 cum per year) (Khasra No. 880/1, 881), Village-Kanja, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP) [446111] [DEIAA] (TOR)**

प्रकरण में समिति की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/2024 को टॉर जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

सिया की 829वीं बैठक दिनांक 9/02/2 को प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है,

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 28 मार्च 2024

‘परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खनिपट्टा क्षेत्र 123 मीटर की दूरी पर विन्ड मिल परिलक्षित है विन्ड मिल से खनि पट्टा क्षेत्र की दूरी 300 मीटर निर्धारित है। प्रस्तावित खदान से बिन्ड मिल से निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

जिसके समिति की आज दिनांक 28/03/24 को समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Gajendra Sikarwar,online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए।

समिति ने पाया की कतिपय प्रकरण विशेष में ऊर्जा विकास निगम द्वारा दूरियों का निर्धारण विंड मिल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुरी निर्धारित की गयी थी। इस प्रकरण विशेष में भी ऊर्जा विकास विभाग द्वारा दूरियों का निर्धारण उपर्युक्त होगा। समिति के पास 300 मीटर की दूरी के विषय में कोई मापदंड उपलब्ध नहीं है अतः सिया द्वारा उक्त प्रकरण विशेष में निर्णय लिया जावे।

22. **Case No 11017/2023 Shri Ramchandra Patidar, R/o Ward No. 12, Akodada, District Mandsaur , MADHYA PRADESH, 458667, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha.(14820 cum per year) (Khasra No. 33/2), Village-Rojana, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP) [446110] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ramchandra Patidar,online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RAMCHANDRA PATIDAR, Proprietor, Ward No. 12, Akodada, Mandsaur, Madhya Pradesh Pin- 458667	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	33/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village- Rojana, Tehsil Jaora, Dist.- Ratlam, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, जबलपुर का पत्र क्रमांक 3617 दिनांक 05/04/23 द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
डिया ई.सी. का	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 1097 दिनांक 16/12/16 के द्वारा	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

विवरण (यदि लागू हो)	पत्थर—16,975 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—14,820 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—14,820 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2233 दिनांक 06/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 13.96 है. होता है, अतः प्रकरण बी—..... श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2233 दिनांक 06/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2233 दिनांक 06/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रोजाना जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—4 दिनांक 08/03/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान का Barrier zone खुदा हुआ है उत्तर पश्चिम दिशा—Warehouse - 236 meter दक्षिण दिशा— Goushala - 285 meter
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—2 के सरल क्रमांक—1 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये ।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिह्नित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये ।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे ।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान ।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव ।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

23. **Case No 11012/2023 M/s Baba Stones and Earth Overs Pvt. Ltd., Owner Shri Omprakash Chandravanshi, R/o D-40, Amara State, Nayapura, Kolar Road, District Bhopal , MADHYA PRADESH, 462042, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.428 ha.(40014 cum per year) (Khasra No. 191/1/2/2, 192/1/2/3, 190/1/2/4, 192/1/2/1), Village-Chakaldi, Tehsil-Rehti, District-Sagar (MP) [452907] (TOR)**

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

प्रस्तावित **Stones** खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Omprakash Chandravanshi, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Omprakash Chandravanshi, Owner, M/s BABA STONES AND EARTH, MOVERS, D-40, Amara State Nayapura Kolar Road, Bhopal District, M.P.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	192/1/2/2, 192/1/2/3, 190/1/2/4, 192/1/2/1 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.428 hectare.
स्थल	Village- Rampura Chakaladi, Tehsil- Rehti, District- Sehore (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के पत्र क्रमांक 257 दिनांक 16/01/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-40,014 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-40,014 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1019 दिनांक 26/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 14.368 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1019 दिनांक 26/04/23 अनुसार 4.00 कि.मी. की दूरी पर रातापानी अभ्यारण्य स्थित है, शेष अन्य 10 किलोमीटर की परिधि में एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1019 दिनांक 26/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की	ग्राम पंचायत चकल्दी जिला सिहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 01/11/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

अनापत्ति	आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - No
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1019 दिनांक 26/04/23 अनुसार उक्त खदान नवीन डीएसआर में सम्मिलित कर ली जावेगी ।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप്രेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।</p>

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप है तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये ।
2. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये ।
3. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शॉप्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाईल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 9. प्रस्तावित स्थल निजी भूमि है, अतः भू-स्वामियों की सहमति पत्र ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
24. **Case No 11008/2023 Shri Pawan Bhadoliya R/o H.No. 206, Block No. B, Mahadev Parisarm, Shivaji Nagar, District Bhopal , MADHYA PRADESH, 46206, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.36 ha.(22230 cum per year) (Khasra No. 345), Village-Chandbad Kadim, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP) [452633] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित Stone खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pawan Bhadoliya, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवियारो के येर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri PAWAN BHADOLIYA, Lease Owner, Ho.No.206,Block no.-B,,Mahadev Parisar,, Shivaji Nagar,Tahsil- Huzur, R S nagar, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	345 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.36 hectare.
स्थल	Village Chandbad Kadeem, Tehsil- Berasia, District - Bhopal (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 7262 दिनांक 14/11/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया भोपाल के पत्र क्रमांक 78 दिनांक 14/09/16 के द्वारा पत्थर-22,230 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-22,230 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-22,230 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3392 दिनांक 30/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 13 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 32.232 है. होता है, अतः	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

	प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3392 दिनांक 30/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3392 दिनांक 30/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चांदबड़ कदीम जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—14 दिनांक 28/10/2007 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—25 के सरल क्रमांक—15 पर दर्ज है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
25. अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मार्च 2024

26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईज़ल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

25. **Case No 10916/2023 Shri Kaushlesh Kumar, Director, M/s Shri Ram Raja Aggregate Private Limited, R/o Gram-Chaka, Post-Chaka Naini, Allahabad Dandi, District-Prayagraj (UP)-211008, Prior Environment Clearance for Dhimpura Stone Mine in an area of 3.00 ha. (25000 cum per year) (Khasra No. 14/1), Village-Umri, Tehsil-Prithvipur, District-Niwari (MP) (TOR)**

प्रकरण में समिति की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/2024 को टॉर जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

सिया की 834वीं बैठक दिनांक 28/02/24 को प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है,

30. प्रकरण क्र 10916/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री कुशलेश कुमार मेसर्स श्री राम राजा एग्रीगेट प्रा. लिमि. , निवासी— ग्राम— चाका, पो. चाका नैनी, इलाहाबाद डंडी, जिला प्रयागराज (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनेइंज़ विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 14/1 पी, ग्रम उमरी, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 717 वीं बैठक दिनांक 24.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 717 वीं बैठक दिनांक 24.01.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मात्र करते हुए प्राधिकरण की निम्नालिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में TOR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अकांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के समीप एक पक्की सड़क परिलक्षित है। अतः माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बैच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशनात्मक पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नानू ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है अनुसार पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेसित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

सिया की 733.वीं बैठक दिनांक 28/03/2024 को प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है, जिसके समिति की आज दिनांक 28/03/24 को समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Kaushlesh Kumar, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए ।

“परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के समीप एक पक्की सड़क परिलक्षित है। माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बैंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है। माननीय एनजीटी के उक्त मापदण्डानुसार पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परिक्षण हेतु सेक अग्रेषित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये ।

समिति ने प्रकरण का पुनः परीक्षण प्रकरण करने पर पाया की लीज के समीप एक पक्की सड़क परिलक्षित है एवं ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी निर्धारित छोड़ने पर खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मार्झिनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का मार्झिनिंग प्लान प्रस्तुत किया जावेगा पीपी द्वारा प्रस्तवित किया गया कि ब्लास्टिंग नहि कि जायेगी एवं रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा परन्तु इस हेतु संशोधित मार्झिनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया । पुनः संशोधित मार्झिनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जावेगा। समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान परिस्थिति में टॉर की अनुसंशा नहीं की जा सकती ।

26. Case No 11010/2023 Shri Amjad Ali, R/o Ward no. 9, Chandani Garden, Nasrullaganj, District Sehore , MADHYA PRADESH, 466331. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha.(40002 cum per year) (Khasra No. 54/1/1), Village-Chakaldi, Tehsil-Nasrullaganj, District-Sehore (MP) [454293] (TOR)

प्रस्तावित Stone खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Amjad Ali, online एवं उनके पर्यावरणीय

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri AMJAD ALI, Proprietor, Ward No. 9, Chandani Garden, Nasrullaganj, Sehore, Madhya Pradesh, 466331				
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	54/1/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.			
स्थल	Village- Rampura Chakaldi, Tehsil- Rehti, Dist.- Sehore, Madhya Pradesh.				
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के पत्र क्रमांक 3781 दिनांक 05/09/23 के द्वारा स्वीकृत ।				
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।				
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।				
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-40,002 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-40,002 घनमीटर/वर्ष है।				
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6240 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 17.66 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।				
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6240 दिनांक 01/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।				
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6240 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।				
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चकल्दी जिला सिहोर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।				
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान	प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं ।				

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

स्थिति	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— Natural dran 72 मीटर & Stop dam /Rapta- 85 मीटर
	पूर्व दिशा— Natural dran 46 मीटर
	दक्षिण पश्चिम दिशा— Isolateed house - 190 मीटर
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 6240 दिनांक 01/11/23 अनुसार उक्त खदान नवीन डीएसआर में सम्मिलित कर ली जावेगी।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।</p>

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे **प्राकृतिक नाला**, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्डानुसार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर x 01 मीटर x 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. ओहर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत
 8. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
 9. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
 10. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. **Case No 11013/2023 Shri Surendra Jat, R/o Hanuman colony, District Guna , MADHYA PRADESH, 473001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(10260 cum per year) (Khasra No. 1020/6), Village-Banjaranggarh, Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [432594] (TOR)**

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Surendra Jat, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात)उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Surendra Jat, R/o Hanuman colony, District Guna , MADHYA PRADESH, 473001,Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(10,260 cum per year) (Khasra No. - 1020/6), Village-Banjaranggarh, Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [432594]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.—1020/6	एरिया—2.00ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village-Banjaranggarh, Tehsil-Guna, District-Guna (M.P.).	
संघातिक सहमति	पत्र क्र. 24114 दिनांक 30/08/2017.	
टॉर रिथिति	प्रस्तावित।	
Description of Project	It is a stone quarry with a production capacity of 10260 cubic meter per year having a lease area of 2.00 hectares , previously EC was issued by DEIAA Guna at Khasra No. 1020/6 Village - Bajrangarh, Tehsil - Guna, District - Guna(M.P.). Now we are applying for fresh EC in SEIAA as per SEIAA policy decision taken in SEIAA agenda 766th Dated 11/01/2023.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक	Controlled blasting techniques, Muffle Blasting and use of sand bags.	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

ब्रेकर	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA Guna EC issued vide letter No. 21 dated 11/07/2017. (Stone Mining –10,260Cub meter/Year).
उत्पादन क्षमता	● Stone (Gitty) - 10,260cum per year,
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 566 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदाने स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 16.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 566 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जॉन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –गुना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 566 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ➤ 50 मी. की दूरी पर नाला स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत –बजरंगगढ़, जिला –गुना का ठहराव प्रस्ताव क्र. 21 दिनांक 16/08/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जल/वायु सम्मति वैद्यता	AW-110203, Date of consent issued 22/02/2023, Validity of consent (Valid up to) 01-03-2027.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-29 के सरल क्रमांक –15 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
22. कृषि भूमि लीज क्षेत्र के समीप है तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
25. अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
29. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों में पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के इआप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

FOR DISCUSSION

28. **Case No 10100/2023 Shri Anupam Soni, Proprietor, M/s A and J Hanumante Associates, Ward No. 03, Plot No. 01, Sakti Nagar, NH12, Mandideep, District-Raisen (MP)-462046, Prior Environment Clearance for proposed "Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 100 kg per hour with static klin" at Plot No.-19 & 24, Jambar Bagari Industrial Area, Tehsil & District-Vidisha, (M.P.) [435024]**

This is a case of Prior Environment Clearance for Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 100 kg per hour with static klin" at Plot No.-19 & 24, Jambar Bagari Industrial Area, Tehsil & District-Vidisha, (M.P.).

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

Chronology of the Case :

Sr. no.	SEAC meeting no. / Date	Committee deliberation/ Recommendations	Remarks
1.	666 / 03.08.2023	PP absent	
2.	673 / 01.09.2023	Committee asked PP for some clarification	<ul style="list-style-type: none"> • Address complaint • The proposed CBWTF project is a pollutiong industries and the plot has been allotted in the food zone. etc
3.	697 / 23.11.2023	Committee asked PP for some clarification	<ul style="list-style-type: none"> • मध्यप्रदेश औद्योगिक निगम, भोपाल से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये • SEAC has written a letter to Unit Head, Bio-medical Section, MPPCB in this matter.
4.	718 / 25.01.2024	PP absent	-
5.	733/ 28.03.2024	For discussion in the light of MPPCB opinion	

The case was scheduled in this meeting for discussion in the light of MPPCB opinion received in the SEAC vide letter no. 1018 dated 29.02.2024 for Common Biomedical Waste Treatment Facility in the Jambar Bagari Industrial Area, Tehsil & District-Vidisha,MP.

In the above referenced letter of MPPCB, wherein it is mentioned that -

“विदिशा जिले मे औद्योगिक जम्बार बागरी मे दो CBWTFs स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर अभिमत चाहा गया उपरोक्त संबंध मे कृपया सूचित हो, कि म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी दिशा-निर्देशों अनुसार प्रदेश मे उत्पन्न होने वाले जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रदेश मे स्थित CBWTFs की क्षमता का आंकलन कर गैप एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर मा. एनजीटी एवं SEIAA मे प्रेषित की गई है, गैप एनालिसिस रिपोर्ट अनुसार प्रदेश मे उत्पन्न हो रहे, जैव

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

चिकित्सा अपशिष्टों की मात्रा से चार गुना अधिक मात्रा हेतु BMW के निष्पादन के CBWTFs संचालित है, अतः गैप एनालिसिस रिपोर्ट में उल्लेखित आंकड़ों के दृष्टिगत CBWTFs की आवश्कता नहीं है।”

अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में टॉर हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

29. **Case No 10101/2023 Dr. Pranjal Patel, Director, M/s Restore Health Medicare Private Limited, 26, A&B, Block-E, Panki Kanpur Nagar, District-Kanpur Nagar (UP)-208020, Prior Environment Clearance for proposed "Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 250 kg per hour with static klin" at Plot No.-3, C-Sector, Jambar Bagari, District-Vidisha, (M.P.) [425600]**

This is a case of Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Plot no 44 and, Plot No. 3 of Sector- C, Jambar Bagari, District-Vidisha, (M.P.).

Chronology of the Case :

Sr. no.	SEAC meeting no. / Date	Committee deliberation/ Recommendations	Remarks
1.	665/ 03.08.2023	The PP shall try to get additional plot adjoining the plot earmarked for establishment.	The PP may request to the Industry Department to have a letter accordingly.
2.	695 / 21.11.2023	recommended for delisting	
3.	719 / 29.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> • SEAC shall write to General Manager, MPIDC, Regional Office Bhopal and • Unit Head, Bio-medical Section, MPPCB in this matter. 	<ul style="list-style-type: none"> • मध्यप्रदेश औद्योगिक निगम, भोपाल से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये • SEAC has written a letter to Unit Head, Bio-medical Section, MPPCB in this matter.
4.	733/ 28.03.2024	For discussion in the light of MPPCB opinion	

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

The case was scheduled in this meeting for discussion in the light of MPPCB opinion received in the SEAC vide letter no. 1018 dated 29.02.2024 for Common Biomedical Waste Treatment Facility in the Jambar Bagari Industrial Area, Tehsil & District-Vidisha, MP.

In the above referenced letter of MPPCB, wherein it is mentioned that -

“विदिशा जिले मे औद्योगिक जम्बार बागरी मे दो CBWTFs स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर अभिमत चाहा गया उपरोक्त संबंध मे कृपया सूचित हो, कि म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी दिशा-निर्देशों अनुसार प्रदेश मे उत्पन्न होने वाले जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रदेश मे स्थित CBWTFs की क्षमता का आंकलन कर गैप एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर मा. एनजीटी एवं SEIAA मे प्रेषित की गई है, गैप एनालिसिस रिपोर्ट अनुसार प्रदेश मे उत्पन्न हो रहे, जैव चिकित्सा अपशिष्टों की मात्रा से चार गुना अधिक मात्रा हेतु BMW के निष्पादन के CBWTFs संचालित है, अतः गैप एनालिसिस रिपोर्ट मे उल्लेखित आंकड़ों के दृष्टिगत CBWTFs की आवश्यकता नहीं है।”

अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति मे इस प्रकरण मे टॉर हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र –

Case No 10380/2023 DRISHTI MINING, E-7/626, Arera Colony R.S. Nagar huzur Bhopal MP. Prior Environment Clearance for Sabdalpur Quartz & Feldspar Mine in area-6.475 ha., khasra no- 210, 211, 212, 213, 214 & 222 Village-Sabdalpur, Tehsil-Datia District - Datia, Madhya Pradesh. EIA.

समिति के संज्ञान मे आया कि कि प्रकरण समिति की 731वीं बैठक दिनांक 19/03/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमे अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, त्रुटिवश उल्लेखित हो गया है।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की समिति की 731वीं बैठक दिनांक 19/03/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कार्यवाही विवरण मे अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है के स्थान पर अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है पढ़ा जावें, शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि वर्तमान में प्रचलित वायलेशन के निर्धारण हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी O.M. Dated 07/07/2021 एवं O.M. Dated 28 /01/2022 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के W.P.(C) No. 1394/2023 के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः समिति चर्चा उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक वॉयलेशन के सभी प्रकरणों को डिलिस्ट करने का निर्णय लेती है।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव


(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclaims and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 28 मार्च 2024

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 28 मार्च 2024

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charaghah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 28 मार्च 2024

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नर्मी को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निर्दाई-गुडाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/ पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फैसिंग/ ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	जँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/ नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साइड/ स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निर्दाई-गुडाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

733वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 28 मार्च 2024

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुडाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 परियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुडाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड—बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवीं, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम् 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम् 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह बदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे